20 रु. न्यायालय फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

23

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018–19 जिला–अशोकनगर

निगरानी – 6337/2018/अशोकनगर/भू. रा.

लालसिंह पुत्र स्व. श्री विक्रम सिंह
निवासी – आमखेडा सूखा तहसील व
जिला – अशोकनगर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला
अशोकनगर (म.प्र.)

...... अनावेदक

श्री ... 19.11.18 को द्वारा प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 26-11-18 नियत।

न्यायालय कलेक्टर जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 146/स्वमेव. निगरानी/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक--निगरानी--6337/2018/अशोकनगर/भू.रा.

लालसिंह विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
13-05-2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला--अशोकनगर के प्र. क्र. 146/स्वमेव निगरानी/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 30-12-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ मध्यप्रदेश भू--राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50(ख) के अनुसार-- "आयुक्त, किसी भी समय, स्व--प्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर किसी ऐसी मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों का, जिसमें कलेक्टर या जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो, अभिलेख मंगा सकेगा।" संहिता की धारा 54(क) के अनुसार-- "मण्डल, किसी भी समय, स्व--प्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किये जाने पर किसी ऐसे मामले का, जो कि विनिश्चित किया जा चुका हो या किन्हीं भी ऐसी कार्यवाहियों का, जिसमें आयुक्त द्वारा इस संहिता के अधीन आदेश पारित किया जा चुका हो, अभिलेख मंगा सकेगा।" स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा स्वमेव निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी में सुनवाई का क्षेत्राधिकार आयुक्त को प्राप्त है। अतः सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने एवं म0प्र0 भू--राजस्व संहिता 1959 में नवीन संशोधन के उपरांत प्रस्तुत किये जाने से निगरानी अग्राहय की जाती है। 3/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर0के0 जैन) सदस्य 13/5/19	